

दिल्ली विकास प्राधिकरण  
मुख्य लेखा अधिकारी कार्यालय  
विकास सदन, नई दिल्ली

संख्या : एफ6(1)2017-18/अकाउंट्स(एम)/डी.डी.ए./510

दिनांक : 04.09.2017

वित्त एवं व्यय परिपत्र संख्या 22/2017

समय-समय पर यह पाया गया है कि केंद्रीय लेखा इकाई/जोनों द्वारा दि.वि.प्रा. (मुख्यालय) को राजस्व प्राप्तियाँ समय पर प्रेषित नहीं की जा रही हैं । इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि सभी क्षेत्रीय केंद्रीय लेखा इकाई राजस्व प्राप्ति के अगले महीने की 10 तारीख तक दि.वि.प्रा. (मुख्यालय) को राजस्व प्राप्तियाँ प्रेषित करें ।

अतः सभी संबंधित क्षेत्रीय केंद्रीय लेखा इकाई को निदेश दिया जाता है कि वे उक्त अनुदेशों का सख्ती से पालन करें । इस निर्धारित प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा ।

(संतोष कुमार)  
मुख्य लेखा अधिकारी

सभी क्षेत्रीय उप मुख्य लेखा अधिकारी

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (रोकड़) मुख्य